



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18112025-267774
CG-DL-E-18112025-267774

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5054]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 17, 2025/कार्तिक 26, 1947

No. 5054]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 17, 2025/KARTIKA 26, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2025

का.आ. 5224(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि गुजरात राज्य के सुरेंद्रनगर जिले में NH51 के कि.मी. 10.9 से कि.मी.38.2 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा

और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

गुजरात राज्य के सुरेंद्रनगर जिले में NH51 के कि.मी. 10.9 से कि.मी.38.2 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: गुजरात			जिले का नाम: सुरेंद्रनगर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: वढवाण					
गांव का नाम: लटूदा					
1	102	सरकारी (गौचर)	नॉन एग्रीकल्चर	0.0527 (हेक्टेयर)	0.0527
2	117	निजी	एग्रीकल्चर	0.0699 (हेक्टेयर)	0.0699
3	118	निजी	एग्रीकल्चर	0.0344 (हेक्टेयर)	0.0344
4	119.001	निजी	एग्रीकल्चर	0.0231 (हेक्टेयर)	0.0231
5	119.002	निजी	एग्रीकल्चर	0.0368 (हेक्टेयर)	0.0368
6	120.001	निजी	एग्रीकल्चर	0.036 (हेक्टेयर)	0.036
7	120.002	निजी	एग्रीकल्चर	0.018 (हेक्टेयर)	0.018
8	120.003	निजी	एग्रीकल्चर	0.0143 (हेक्टेयर)	0.0143
9	120.004	निजी	एग्रीकल्चर	0.0131 (हेक्टेयर)	0.0131
10	120.005	निजी	एग्रीकल्चर	0.0117 (हेक्टेयर)	0.0117
11	122.001	निजी	एग्रीकल्चर	0.0137 (हेक्टेयर)	0.0137
12	122.002	निजी	एग्रीकल्चर	0.0282 (हेक्टेयर)	0.0282
13	124	निजी	एग्रीकल्चर	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
14	14	निजी	एग्रीकल्चर	0.0663 (हेक्टेयर)	0.0663
15	16	निजी	एग्रीकल्चर	0.0677 (हेक्टेयर)	0.0677
16	160	निजी	एग्रीकल्चर	0.0135 (हेक्टेयर)	0.0135

17	161	निजी	एग्रीकल्चर	0.0032 (हेक्टेयर)	0.0032
18	162	निजी	एग्रीकल्चर	0.0345 (हेक्टेयर)	0.0345
19	163	निजी	एग्रीकल्चर	0.0452 (हेक्टेयर)	0.0452
20	164	निजी	एग्रीकल्चर	0.0244 (हेक्टेयर)	0.0244
21	165	निजी	एग्रीकल्चर	0.0239 (हेक्टेयर)	0.0239
22	166	निजी	एग्रीकल्चर	0.0418 (हेक्टेयर)	0.0418
23	167	निजी	एग्रीकल्चर	0.0428 (हेक्टेयर)	0.0428
24	168.001	निजी	एग्रीकल्चर	0.0233 (हेक्टेयर)	0.0233
25	168.002	निजी	एग्रीकल्चर	0.0165 (हेक्टेयर)	0.0165
26	169	निजी	एग्रीकल्चर	0.0335 (हेक्टेयर)	0.0335
27	170	निजी	एग्रीकल्चर	0.0071 (हेक्टेयर)	0.0071
28	171`	निजी	एग्रीकल्चर	0.0051 (हेक्टेयर)	0.0051
29	172	निजी	एग्रीकल्चर	0.0066 (हेक्टेयर)	0.0066
30	173	निजी	एग्रीकल्चर	0.0047 (हेक्टेयर)	0.0047
31	174	निजी	एग्रीकल्चर	0.0005 (हेक्टेयर)	0.0005
32	179	निजी	एग्रीकल्चर	0.0108 (हेक्टेयर)	0.0108
33	179.001	निजी	एग्रीकल्चर	0.0028 (हेक्टेयर)	0.0028
34	180	निजी	एग्रीकल्चर	0.0213 (हेक्टेयर)	0.0213
35	187	निजी	एग्रीकल्चर	0.0162 (हेक्टेयर)	0.0162
36	190	निजी	एग्रीकल्चर	0.0013 (हेक्टेयर)	0.0013
37	2	निजी	एग्रीकल्चर	0.0687 (हेक्टेयर)	0.0687
38	205	निजी	एग्रीकल्चर	0.0039 (हेक्टेयर)	0.0039
39	206.001	निजी	एग्रीकल्चर	0.0307 (हेक्टेयर)	0.0307
40	206.002	निजी	एग्रीकल्चर	0.0021 (हेक्टेयर)	0.0021
41	358	निजी	एग्रीकल्चर	0.0125 (हेक्टेयर)	0.0125
42	359	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0256 (हेक्टेयर)	0.0256
43	360	निजी	एग्रीकल्चर	0.0173 (हेक्टेयर)	0.0173
44	361	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.142 (हेक्टेयर)	0.142
45	4	सरकारी (पड़तर)	नॉन एग्रीकल्चर	0.0639 (हेक्टेयर)	0.0639
46	5	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0129 (हेक्टेयर)	0.0129

47	583	निजी	एग्रीकल्चर	0.0094 (हेक्टेयर)	0.0094
48	584	निजी	एग्रीकल्चर	0.009 (हेक्टेयर)	0.009
49	585/p 2	सरकारी (खराबो)	नॉन एग्रीकल्चर	0.0013 (हेक्टेयर)	0.0013
50	585/p/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0424 (हेक्टेयर)	0.0424
51	596	निजी	एग्रीकल्चर	0.0366 (हेक्टेयर)	0.0366
52	597/p 1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0138 (हेक्टेयर)	0.0138
53	597/p 2	निजी	एग्रीकल्चर	0.0181 (हेक्टेयर)	0.0181
54	6	निजी	एग्रीकल्चर	0.0349 (हेक्टेयर)	0.0349
55	603.001	निजी	एग्रीकल्चर	0.052 (हेक्टेयर)	0.052
56	603.002	निजी	एग्रीकल्चर	0.0036 (हेक्टेयर)	0.0036
57	604	निजी	एग्रीकल्चर	0.0255 (हेक्टेयर)	0.0255
58	617	निजी	एग्रीकल्चर	0.0281 (हेक्टेयर)	0.0281
59	618	निजी	एग्रीकल्चर	0.0169 (हेक्टेयर)	0.0169
60	619	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0325 (हेक्टेयर)	0.0325
61	623	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0543 (हेक्टेयर)	0.0543
62	624	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.025 (हेक्टेयर)	0.025
63	625	निजी	एग्रीकल्चर	0.0229 (हेक्टेयर)	0.0229
64	626.001	निजी	एग्रीकल्चर	0.0653 (हेक्टेयर)	0.0653
65	626.002	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0856 (हेक्टेयर)	0.0856
66	637	निजी	एग्रीकल्चर	0.0185 (हेक्टेयर)	0.0185
Total					1.8902

[फा. सं. 06/2019/GJ/ZONE-V/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2025

S.O. 5224(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH51 in the stretch of land from Km. 10.9 to Km. 38.2 in the district of SURENDRANAGAR in the state of GUJARAT, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH51 in the stretch of land from Km. 10.9 to Km. 38.2 in the district of SURENDRANAGAR in the state of GUJARAT

State: GUJARAT			District: SURENDRANAGAR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Wadhwan					
Village: Latuda					
1	102	Government (GAUCHAR)	Non Agriculture	0.0527 (Hectare)	0.0527
2	117	Private	Agriculture	0.0699 (Hectare)	0.0699
3	118	Private	Agriculture	0.0344 (Hectare)	0.0344
4	119.001	Private	Agriculture	0.0231 (Hectare)	0.0231
5	119.002	Private	Agriculture	0.0368 (Hectare)	0.0368
6	120.001	Private	Agriculture	0.036 (Hectare)	0.036
7	120.002	Private	Agriculture	0.018 (Hectare)	0.018
8	120.003	Private	Agriculture	0.0143 (Hectare)	0.0143
9	120.004	Private	Agriculture	0.0131 (Hectare)	0.0131
10	120.005	Private	Agriculture	0.0117 (Hectare)	0.0117
11	122.001	Private	Agriculture	0.0137 (Hectare)	0.0137
12	122.002	Private	Agriculture	0.0282 (Hectare)	0.0282
13	124	Private	Agriculture	0.05 (Hectare)	0.05
14	14	Private	Agriculture	0.0663 (Hectare)	0.0663

15	16	Private	Agriculture	0.0677 (Hectare)	0.0677
16	160	Private	Agriculture	0.0135 (Hectare)	0.0135
17	161	Private	Agriculture	0.0032 (Hectare)	0.0032
18	162	Private	Agriculture	0.0345 (Hectare)	0.0345
19	163	Private	Agriculture	0.0452 (Hectare)	0.0452
20	164	Private	Agriculture	0.0244 (Hectare)	0.0244
21	165	Private	Agriculture	0.0239 (Hectare)	0.0239
22	166	Private	AGRICULTURE	0.0418 (Hectare)	0.0418
23	167	Private	Agriculture	0.0428 (Hectare)	0.0428
24	168.001	Private	Agriculture	0.0233 (Hectare)	0.0233
25	168.002	Private	Agriculture	0.0165 (Hectare)	0.0165
26	169	Private	Agriculture	0.0335 (Hectare)	0.0335
27	170	Private	Agriculture	0.0071 (Hectare)	0.0071
28	171`	Private	Agriculture	0.0051 (Hectare)	0.0051
29	172	Private	Agriculture	0.0066 (Hectare)	0.0066
30	173	Private	Agriculture	0.0047 (Hectare)	0.0047
31	174	Private	Agriculture	0.0005 (Hectare)	0.0005
32	179	Private	Agriculture	0.0108 (Hectare)	0.0108
33	179.001	Private	Agriculture	0.0028 (Hectare)	0.0028
34	180	Private	Agriculture	0.0213 (Hectare)	0.0213
35	187	Private	Agriculture	0.0162 (Hectare)	0.0162
36	190	Private	Agriculture	0.0013 (Hectare)	0.0013
37	2	Private	Agriculture	0.0687 (Hectare)	0.0687
38	205	Private	AGRICULTURE	0.0039 (Hectare)	0.0039
39	206.001	Private	Agriculture	0.0307 (Hectare)	0.0307
40	206.002	Private	Agriculture	0.0021 (Hectare)	0.0021
41	358	Private	Agriculture	0.0125 (Hectare)	0.0125
42	359	Private	Non Agriculture	0.0256 (Hectare)	0.0256
43	360	Private	Agriculture	0.0173 (Hectare)	0.0173
44	361	Private	Non Agriculture	0.142 (Hectare)	0.142
45	4	Government (PADTAR)	Non Agriculture	0.0639 (Hectare)	0.0639
46	5	Private	Non Agriculture	0.0129 (Hectare)	0.0129
47	583	Private	Agriculture	0.0094 (Hectare)	0.0094
48	584	Private	Agriculture	0.009 (Hectare)	0.009

49	585/p 2	Government (KHARABO)	Non Agriculture	0.0013 (Hectare)	0.0013
50	585/p/1	Private	Agriculture	0.0424 (Hectare)	0.0424
51	596	Private	Agriculture	0.0366 (Hectare)	0.0366
52	597/p 1	Private	Agriculture	0.0138 (Hectare)	0.0138
53	597/p 2	Private	Agriculture	0.0181 (Hectare)	0.0181
54	6	Private	Agriculture	0.0349 (Hectare)	0.0349
55	603.001	Private	Agriculture	0.052 (Hectare)	0.052
56	603.002	Private	Agriculture	0.0036 (Hectare)	0.0036
57	604	Private	Agriculture	0.0255 (Hectare)	0.0255
58	617	Private	Agriculture	0.0281 (Hectare)	0.0281
59	618	Private	Agriculture	0.0169 (Hectare)	0.0169
60	619	Private	Non Agriculture	0.0325 (Hectare)	0.0325
61	623	Private	Non Agriculture	0.0543 (Hectare)	0.0543
62	624	Private	Non Agriculture	0.025 (Hectare)	0.025
63	625	Private	Agriculture	0.0229 (Hectare)	0.0229
64	626.001	Private	Agriculture	0.0653 (Hectare)	0.0653
65	626.002	Private	Non Agriculture	0.0856 (Hectare)	0.0856
66	637	Private	Agriculture	0.0185 (Hectare)	0.0185
Total					1.8902

[F. No. 06/2019/GJ/ZONE-V/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director